अपील सूचना अधिकार संख्या 28/2019 (RCMS 2019/00086) श्री बंसीलाल रोहिला, गांव बेही (BEHI), पो.ऑ. जम्वल तह. डाडासीवा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश–1771013 (मोबाईल नं : 8894852958) बनाम नायब तहसीलदार, विजयनगर

31.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बंसीलाल रोहिला स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार, श्रीविजयानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 02 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार, श्रीविजयनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. पत्र के साथ संलग्न ली गई जमाबन्दी मुं.न. 242/373 की प्रतिलिपि हल्का पटवारी से सत्यापित करवाने पर सरकारी कार्य के लिए मान्य है।
2. जमाबन्दी म.नं. 242/373 बिना सत्यापित हल्का पटवारी से सरकारी कार्य के लिए मान्य है, मान्य है तो किस अधिनियम के

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक 559 दिनांक 26.12.2019 से निम्नानुसर जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नात्मक सूचना देय नहीं है। लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व नहीं है कि वह आपके स्वसृजित प्रश्नों का उत्तर दें एवं ना ही किसी प्रकार की सूचना सृजित करके दी जा सकती है।

अतः आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, आप चाहे तो उक्त जवाब के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस में प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते है।

—sd—
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीविजयनगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक ही सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर** द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर